न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/08/2022	2022/38	06.05.2022	23.05.2024

1. अंगूरी पुत्री स्व0 श्री फूलचन्द पत्नी मदन लाल जाति महाजन निवासी ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ़, हाल निवासी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—अपीलान्टा

बनाम

1. विमला पुत्री स्व0 श्री फूलचन्द पत्नी राधेश्याम, जाति महाजन निवासी ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ़, हाल निवासी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. शकुन्तला पुत्री स्व0 श्री फूलचन्द पत्नी स्व0 रामस्वरूप, जाति महाजन निवासी ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ़, हाल निवासी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. महेश पुत्र मंगल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बामनीखेड़ा हाल निवासी श्रीराम नगर, अलवर तहसील व जिला अलवर,
4. राजकुमार पुत्र स्व0 मंगलराम, जाति महाजन, निवासी ग्राम बामनीखेड़ा हाल निवासी ग्राम बडौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।
5. तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 17.02.2022 बाबत इन्तकाल संख्या 583 वाके ग्राम बामनीखेड़ा तहसील रामगढ़ जिला अलवर

उपस्थितः—

01. श्री मनमोहन शर्मा —वकील अपीलान्टा
02. श्री राधाकृष्ण शर्मा —वकील रेस्पो0 सं0 1, 3 व 4
03. श्री अशोक कुमार कॉवत —वकील रेस्पो0 सं0 2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

:: निर्णय ::

अपीलान्टा ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 17.02.2022 इन्तकाल संख्या 583 वाके ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ़ स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टा ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि यह कि इंतकाल नंबर 583 दिनांक 17.02.2022 वाके ग्राम बामनीखेड़ा तहसील रामगढ जिला अलवर में वर्णित विवादित आराजी हाल खसरा नबर 102 रकबा 0.43 है0, 143 स्कंदा 1.24 है., 57 रकबा 0.36 है0 कुल खसंरा 3 कुल रकबा 2.03 है. जो खाता संख्या 268 की आराजी है का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नंबर 66 स्कबा 0.23 है., 67 रकबा 0.24 है0 खाता संख्य 194 का 1/2 हिस्सा है एवं आराजी खसरा नवर 14 रकबा 0.39 है., 16 रकबा 0.74 है0, खाता सं० 93 का 2/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 93 की आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.21 है0 86 रकबा 0.11 है0 87 रकबा 0.08 है0 88 रकबा 0.06 है0 का 1/2 हिस्सा हाल जमाबंदी संवत 2073—2076 वाके ग्राम बामनीखेडा, तहसील रामगढ, जिला अलवर अपीलांटा की स्व० माताजी हरभेजी पत्नी स्व० श्री फूलचंद के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। स्व० हरभेजी की वारिस उसकी चार पुत्रीयां अपीलांटा अगूंरी व शकुन्तला देवी,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

शान्ति देवी व विमला देवी है जिनमें से बडी पुत्री शान्ति देवी का स्वर्गवास हो चुका है और स्व० शान्ति देवी के पुत्र महेश चंद व राजकुमार जो इस अपील में रेस्पोडेन्ट सं० 3 व 4 है जो स्व० शान्ति देवी के वारिसान है इस प्रकार से कानून के मुताबिक यानि हिन्दू उतराधिकार के मुताबिक अपीलांटा अपनी माता स्व० हरभेजी की विरासत की जमीन में 1/4 हिस्से की हिस्सेदार खातेदार है। स्व० हरभेजी पर नाजायज दबाव डाल कर व छल कपट से रेस्पो० सं० 1 विमला ने एक हिबेनामा दिनाक 08.04.2004 को हरभेजी से तहरीर व तस्दीक करा लिया जिस हिबेनामा के विरूद्ध अपीलांटा व अपीलांटा की बहन शकुन्तला देवी ने एक दावा बाबत मंसूख किये जाने हिबेनामा व हुकमईम्तनाई दवामी का माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं० 2 अलवर में पेश किया गया जो दीवानी दावा संख्या 133/04 था। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं० 2 अलवर ने उक्त दीवानी वाद बअनुवानी शकुन्तला देवी व अन्य बनाम हरभेजी बेवा फूलचंद व अन्य का निर्णय दोनो पक्षो को सुनने के बाद दिनांक 31.08.2006 को कर दिया और माननीय न्यायालय ने वाद यादीगण प्रतिवादी सं० 1 व 2 द्वारा दिनांक 08.04.2004 निष्पादित एवं पजीकृत हिबेनामा शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर दिया। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया कि वो वाद के चरण सं० 1 में उल्लेखित आराजी को वादीगण के अधिकारों के विपरित अन्यत्र व्ययनित व भारित ना करे। उपरोक्त निर्णय की पालना में माननीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री की एक प्रति उप पंजीयक महोदय रामगढ, जिला अलवर को पृथक से जारी कर आदेश दिया कि उनके कार्यालय में पंजीकृत हिबेनामा दिनाक 08.04.2004 जो हरभेजी बेवा फूलचंद द्वारा विमला देवी पुत्री फूलचंद के पक्ष में निष्पादित किया गया है के रद्दकरण के संबंध में उक्त हिबेनामा पर टिप्पणी अंकित कर न्यायालय को एक माह में पालना रिर्पोट पेश करे और माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2006 की पालना में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्टट्रेक सं0 2 अलवर द्वारा पारित निर्णय इजराय के आदेश की पालना मे उक्त रजिस्टर्ड हिबेनामा निरस्त कर दिया गया। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं० 2 अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध हरभेजी व विमला द्वारा माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर में अपील पेश की गई जो अपील संख्या 556/2006 है जिसका अनुवान हरभेजी व अन्य बनाम शकुन्तला वगे0 है। जिस अपील में महेश पुत्र मंगल व राजकुमार पुत्र मंगल जो महेश व राजकुमार हरभेजी की मृतक पुत्री शान्ति देवी के पुत्र है ने एक राजीनामा जो कि माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर में पेश होकर तस्दीक नहीं किया गया था बल्कि कोर्ट के बाहर असल रेस्पा० विमला देवी के लडके रिंकू ने तहरीर करा कर नोटेरी से तस्दीक कराया था। जिसे माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर में पेश कर दिया परन्तु अपीलान्टा अगूंरीदेवी पुत्री फूलचंद एवं हरभेजी ने कोई राजीनामा तहरीर करा कर पब्लिक नोटेरी से तस्दीक नही कराया ओर ना ही माननीय राज० उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर कोई राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया। जिस दस्तावेज राजीनामा के आधार पर माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर ने उक्त अपील का निस्तारण कर दिया जबकि नियमानुसार जब तक पक्षकारान न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर कोई राजीनामा पेश कर अपने वकीलो द्वारा राजीनामा पर नियमानुसार पहचान करवा कर तस्दीक ना करावे राजीनामा वैद्य रूप से पेश किया जाकर तस्दीक किया हुआ नही माना जाता। तहसीलदार रामगढ ने जो इंतकाल संख्या 583 दिनांक 17.02.2022 को स्वीकार किया है उस इंतकाल के विरूद्ध जानकारी की तारीख से अपीलांटा ने यह अपील अंदर अवधी प्रस्तुत की है। अपीलांटा द्वारा पेश की गई उक्त अपील को निम्न आधारो पर स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय 17.02.2022 बाबत इंतकाल नंबर 583 कतई विधि विरूद्ध अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायिक प्रकिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित व पत्रावली पर उपस्थित तथ्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम
अलवर (राज०)

मौके पर कब्जा व राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.05.2017 का है जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ ने इंत्तकाल संख्या 583 दिनांक 17.02.2022 को स्वीकार किया है यानि राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के 4 साल 9 माह बाद बगैर अपीलांट को नोटिस दिये बगैर सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार किया गया है जबकि जब कोई इजराय दो साल बाद पेश की जाती है तो नियमानुसार दूसरे पक्षकारो को यानि स्व० हरभेजी के सारे वारिसान को आदेश से पूर्व सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है इस कानूनी बिन्दु पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया गैरकानूनी होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। माननीय अपर जिला जज फास्टट्रेक सं0 2 अलवर के निर्णय दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध माननीय राज० उच्च न्यायालय में अपील हरभेजी स्त्री फूलचंद व विमला पुत्री फूलचंद द्वारा शकुन्तला पुत्री फूलचंद, अगूंरी पुत्री फूलचंद, महेश व राजकुमार पुत्रान मंगल राम के विरूद्ध पेश की गई थी यानि इस प्रकरण में ट्रायल कोर्ट माननीय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नंबर 2 अलवर की कोई भी डिक्री या आदेश की इजराय केवल प्रथम सुनवाई करने वाली कोर्ट में ही पेश हो सकती है। धारा 38 दीवानी प्रक्रिया सहिंता में यह कानून प्रतिपादित किया गया है कि कोई आदेश या डिक्री का एक्ज्यूकेशन पास कोर्ट में नही पर कि प्रथम डिक्री पारित की गई है या उस कोर्ट में जिस कोर्ट में कि एक्जीक्यूशनल कोर्ट उस डिक्री को एक्जीक्यूशन हेतु भिजवाई जा सकती है अगर अपील में प्रथम सुनवाई वाली कोर्ट की डिक्री में कोई संशोधन किया जाता है या अपील स्वीकार कर अपीलेट कोर्ट द्वारा कोई डिक्री या आदेश अपीलांट के पक्ष में जारी किया जाता है उस सूरत में भी जिस न्यायालय ने प्रथम डिक्री पारित की थी उस ही कोर्ट में अपीलीय न्यायालय के आदेश या डिक्री की पालना किये जाने हेतु इजराय कानूनन पेश हो सकती है। अन्य किसी न्यायालय को इजराय की शक्ति प्राप्त नही हो सकती अगर कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायालय के आदेश या डिक्री की पालना किसी अन्य न्यायालय से करवाता है जिसे कि क्षेत्राधिकार ही नही है तो ऐसा आदेश क्षेत्राधिकार विहिन माना जावेगा। विमला देवी पत्नी राधेश्याम जाति महाजन निवासी बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर ने एक इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के समक्ष पेश किया और उक्त इजराय प्रार्थना पत्र में यह प्रार्थना की कि माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर की डिक्री एवं राजीनामा की पालना की जावे। जिस प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ, जिला अलवर द्वारा एक आदेश दिनांक 05.10.2021 को तहसीलदार रामगढ, अलवर को जारी किया गया जो आदेश मुझ अपीलान्टा ने अपील के साथ पेश किया हुआ है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ ने तहसीलदार रामगढ को एक तहरीर जारी की है जो तहरीर दिनांक 05.10.2021 की है जिसका विषय "मुताबिक डिक्री एवं राजीनामा ईजराय की पालना करवाये जाने बाबत।" जिस तहरीर में उनवान विमला देवी पत्नी राधेश्याम जाति महाजन निवासी बामनीखेडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर डिक्रीदार बनाम शकुन्तला पुत्री फूलचंद पत्नी स्व० श्री रामस्वरूप जाति महाजन निवासी बामनीखेडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर, हाल निवासी बाम्बोली, तहसील रामगढ जिला अलंवर वगे0 मदयूनान अंकित है। जिससे यह तथ्य जाहिर है कि अनुवान में विमला देवी बनाम शकुन्तला देवी अगूरी देवी महेश व राजकुमार अंकित है। जबकि उपखण्ड अधिकारी रामगढ को माननीय राज० उच्च न्यायालय को आदेश की पालना कराये जाने हेतु इजराय सुनने का कोई क्षेत्राधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा जो आदेश दिनांक 05.10.2021 को तहसीलदार रामगढ़ को इजराय सुन कर दिया गया है वह कतई क्षेत्राधिकार विहिन आदेश है यह आदेश गेरकानूनी रूप से व मनमाने तरीके से विमला देवी से साज बाज होकर दिया है उस कम में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रामगढ के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। एवं उपखण्ड अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विहिन होने के कारण उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ निरस्त फरमाया जावे ओर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 583 दिनांक 17.02.2021 तहसीलदार रामगढ निरस्त फरमाया जावे। उपखण्ड अधिकारी ने जो तहरीर दिनांक 05.10.2021 को तहसीलदार रामगढ़ को आदेश देते हुये जारी की है उसमें उसने यह आदेश दिया है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुवानी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय व डिक्री तथा राजीनामा की प्रमाणित छाया प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है. यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी ना हो तो मुताबिक डिक्री व राजीनामा के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिर्पोट दिनाक 02.11.2021 से पूर्व न्यायालय हाजा भिजवाया जाना सुनिश्चत करे। जबकि माननीय राज० उच्च न्यायालय द्वारा कोई डिक्री ही जारी नहीं की गई ऐसी सूरत में उपखण्ड अधिकारी ने यह तहरीर किस आधार पर जारी कर दी जबकि उसे इजराय सुनने का कानूनन क्षेत्राधिकार भी नहीं था। उपखण्ड अधिकारी रामगढ की तहरीर को देखने से दूसरी बात यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ ने अपनी तहरीर दिनांक 05.10.2021 को जो अनुवान अंकित किया है उसके मुताबिक विमला देवी पत्नी राधेश्याम, जाति महाजन, निवासी बामनीखेडा तहसील रामगढ, जिला अलवर–डिक्रीदार है जबकि शकुन्तला पुत्री फूलचंद ओर फूलचंद हरभेजी की दूसरी पुत्री यानि अपीलांट अगूंरी व फूलचंद व अगूंरी की एक अन्य मृतक पुत्री शान्ति देवी के पुत्र महेश व राजकुमार माननीय राज० उच्च न्यायालय के निर्णय जो कि उपखण्ड अधिकारी के सामने पेश हुआ है वे पक्षकार है उस सूरत में उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को आदेश देने से पूर्व स्व० फूलचंद व हरभेजी के समस्त वारिसान को जरिये नोटिस तलब करना कानूनन आवश्यक था। जबकि उसने इस अहम कानूनी प्रकिया का पालन नहीं किया ओर बगैर इन लोगो की सुनवाई किये हुए ही तहसीलदार रामगढ़ को आदेश जारी कर दिया ऐसी सूरत में आदेश 05.10.2021 उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ कतई गैरकानूनी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्र है इस बिना पर भी अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है स्वीकार की जावें। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के आदेश 05.10.2021 जो कि उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार रामगढ को प्रेषित किया है जिस आदेश में यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित है कि तहरीर के साथ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय व डिक्री व राजीनामा की प्रमाणित छाया प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। ओर माननीय राज0 उच्च न्यायालय के आदेश में बतोर रेस्पा0 शकुन्तला देवी अगूरी देवी महेश व राजकुमार पुत्रान मंगलराम के नाम अंकित है ऐसी सूरत में तहसीलदार रामगढ़ को भी विवादित इंतकाल स्वीकार करने सेपूर्व स्व0 फूलचंद व हरभेजी के समस्त वारिसान को जरिये नोटिस तलब कर सुनवाई का पूरा अवसर देना चाहिये था । जबकि तहसीलदार रामगढ ने इंतकाल सं० 583 दिनांक 17.02.2022 स्वीकार करने से पूर्व किसी भी पक्षकार को ना तो जरिये नोटिस तलब किया ओर ना सुनवाई का अवसर दिया बल्कि विमला देवी से साज बाज होकर एक मनमाना आदेश 17.02.2022 को बाबत इंतकाल नंबर 583 देकर इंतकाल स्वीकार कर दिया जो समस्त प्रक्रिया पूर्णतया गेरकानूनी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है इस बिना पर भी अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जावे। दिनांक 19.01.2022 को अपीलान्ट अंगूरी पुत्री फूलचंद स्त्री मदनलाल ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ के समक्ष पेश होकर प्रस्तुत किया था और अपने प्रार्थनापत्र में हरभेजी के वारिसान का एक सजरा पेश किया था ओर यह निवेदन किया था कि उपरोक्त हालात अंगूरी देवी द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष पेश होकर प्रस्तुत करने के बावजूद भी तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपीलान्ट अंगूरी देवी का पक्ष नहीं सुना गया बल्कि उसके बाला बाला बगेर सुनवाई का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया जो आदेश पूर्णतया गैरकानूनी है ओर इस बिना पर भी अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ओर इन्तकाल संख्या 583 दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

17.02.2022 निरस्त फरमाया जावें। उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने जो आदेश जरिये तहरीर दिनांक 05.10.2021 को तहसीलदार रामगढ को जारी किया एवं तहसीलदार रामगढ ने इंतकाल दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का व आई.एल.आर को आदेश जारी किया तब पटवारी हल्का नयाबास व आई.एल.आर. ने दिनांक 31.01.2022 को एक पत्र तहसीलदार रामगढ को लिख कर यह निवेदन किया कि आपके आदेश दिनांक 19.01.2022 द्वारा प्राप्त प्रार्थीया अंगूरी देवी पुत्री फूलचंद पत्नी मदन लाल महाजन का प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्टट्रेक सं० 2 अलवर के निर्णय एव डिक्री द्वारा रजिस्टर्ड हिबेनामा को शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया गया है सलंग्न नोटेरी प्रमाणित राजीनामा में शकुन्तला देवी महेश चंद व राजकुमार एवं विमला देवी के मध्य राजीनामा हुआ है प्रार्थीया अगूंरी देवी चाहती है कि मेरे द्वारा राजीनामा नहीं किया गया है एवं मेरे नाम भूमि दर्ज की जावे। अतः महोदय नामान्तकरण सं० 583 ग्राम बामनीखेडा का निर्णय पारित करने से पूर्व सलंग्न दस्तावेज अपर जिला न्यायाधीश अलवर का निर्णय व डिक्री राजीनामा प्रति हाई कोर्ट का निर्णय व डिक्री का अवलोकन व विधि परीक्षण उपरान्त ही निर्णय किया जाना उचित है। फिर भी तहसीलदार रामगढ ने कोई किसी विधि विशेषज्ञ द्वारा इंतकाल स्वीकार किये जाने समय कोई राय नही ली ओर इंतकाल गैरकानूनी तरीके से स्वीकार कर दिया जिससे भी यह तथ्य प्रमाणित है कि तहसीलदार रामगढ व उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने इंतकाल के संबंध में समस्त कार्यवाही विमलादेवी व उसके लडके रिंकू से साजबाज होकर की है जो एक कतई गैरकानूनी आदेश है जिसे निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तथाकथित फर्जी राजीनामा तैयार किया गया है उस राजीनामा पर अपीलांट अगूंरी देवी के हस्ताक्षर या अगूंठा निशानी नहीं है साथ ही शकुन्तला देवी ने भी अपने जवाब में राजीनामा करने व जयपुर जाकर अगूंठा निशानी करने से मना किया है। इसके अलावा तथाकथित तहरीर राजीनामा दिनांक 03.02.2015 पर पक्षकारो की पहचान रिंकू द्वारा की गई है जो रिंकू विमला देवी का पुत्र है। इससे भी यह बात साबित है कि रिंकू ने शकुन्तला देवी का नाम भी राजीनामा में गलत अंकित किया है। अतः अपीलान्टा की ओर से लिखित बहस पेश कर विनम्र निवेदन है कि इन्तकाल नम्बर 583 तहसीलदार रामगढ़ आदेश दिनांक 17.02.2022 निरस्त फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्टा स्वीकार फरमाई जावे आपकी अति कृपा होगी।

विद्वान वकील रेस्पो० सं०० 1, 3 व 4 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए एवं लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि शकुन्तला पुत्री फूलचन्द व अंगूरी पुत्री फूचन्द ने एक दावा बअनुवान शकुन्तला वगे0 वादीगण बनाम हरभेजी वगे0 प्रतिवादीगण दावा मंसुख किये जाने हिबेजाना एवं हुक्मइम्तनाई का पेश किया जिस का निस्तारण दिनांक 31.08.2006 को अदालत अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नं0 2 अलवर ने किया व वाद वादीगण डिक्री किया गया। इस बाबत हरभेजी व विमला ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में अपील नं0 556/06 बअनुवान हरभेजी वगे0 अपीलान्टान बनाम शकुन्तला वगे0 रैस्पोडेन्टान पेश की जिस अपील में अंगूरी रैस्पोडेन्टा की तामील हो जाने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में उपस्थित नहीं हुई व पक्षकारान शकुन्तला देवी, महेशचन्द, राजकुमार व श्रीमति विमला के मध्य आराजी मुतनाजा के बाबत राजीनामा तारीख 03.02.2015 को हो गया व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने राजीनामा के तहत अपील का निस्तारण दिनांक 11.05.2017 को किया व अपील अपीलान्ट राजीनामें के आधार पर स्वीकार की गई व अंगूरी देवी माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में हाजिर नहीं हुई करीब 4 साल गुजर जाने के बाद भी अंगूरी ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की व हरभेजी वगे0 ने उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगढ़ के यहां कार्यवाही की, जिस पर इन्तकाल सही प्रकार से दर्ज व तस्दीक किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

गया। क्योंकि जब राजीनामें के आधार पर राज0 उच्च न्यायालय ने अपील का निस्तारण करने के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3 व 4 ने उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहां विवादित आराजी का इन्तकाल दर्ज कराने बाबत आराजी क्षेत्र के न्ययालय में प्रार्थना पत्र पेश किया उस प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त इन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया। उक्त इन्तकाल दर्ज व तस्दीक हो जाने पर गलत तथ्यों के आधार पर अदालत में अंगूरी ने अपील बअनुवान अंगूरी बनाम विमला गलत तरीके पर पेश की है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलान्टान की अपील मौजूदा खारिज फरमाई जावे।

विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 2 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि इन्तकाल नं0 583 दिनांक 17.02.2022 तहसील रामगढ़ जिला अलवर में विवादित आराजी हाल खसरा नं0 102 रकबा 0.43 है0, 143 रकबा 1.24 है0, 57 रकबा 0.36 है0, कुल खसरा 3 कुल रकबा 2.03 है0, जो खाता संख्या 268 की आराजी है का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नं0 66 रकबा 0.23 है0, 67 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 194 का 1/2 हिस्सा है एवं आराजी खसरा नं0 14 रकबा 0.39 है0, 16 रकबा 0.74 है0, खाता सं0 93 का 2/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 93 की आराजी खसरा नं0 85 रकबा 0.21 है0, 86 रकबा 0.11 है0, 87 रकबा 0.08 है0, 88 रकबा 0.96 है0, का 1/2 हिस्सा हाल जमाबंदी संवत् 2073–2076 वाके ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ़ जिला अलवर अपीलान्टा की स्व0 माताजी हरभेजी पत्नी स्व0 फूलचन्द के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। स्व0 हरभेजी की वारिस उसकी चार पुत्रीयां अपीलांटा अंगूरी व शकुन्तला देवी, शान्ति देवी व विमला देवी है जिनमें बडी पुत्री शान्ति देवी का स्वर्गवास हो चुका है ओर स्व0 शान्ति देवी के पुत्र महेश चन्द व राजकुमार जो इस अपील में रैस्पा0 3 व 4 है जो स्व0 शान्ति देवी के वारिसान है इस प्रकार से कानून के मुताबिक यानि हिन्दु उत्राधिकारी के मुताबिक अपीलांटा अपनी माता स्व0 हरभेजी की विरासत की जमीन मे 1/4 हिस्से की हिस्सेदार खातेदार है। स्व० हरभेजी पर नाजायज दबाव डाल कर व छल कपट से रेस्पो0 सं0 1 विमला ने एक हिबेनामा दिनाक 01.04.2004 हरभेजी से तहरीर व तस्दीक गैरकानूनी रूप से करा लिया जिस हिबेनामा के विरूद्ध मैंने व मेरी बहन अंगूरी ने एक दावा बाबत मन्सूख किये जाने हिबेनामा व हुकमईम्तनाई दवामी का माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्टट्रेक सं0 2 अलवर में पेश किया जो दीवानी दावा संख्या 133/04 था। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं0 2 अलवर ने उक्त दीवानी वाद बअनुवानी शकुन्तला देवी व अन्य बनाम हरभेजी बेवा फुलचंद व अन्य का निर्णय दोनो पक्षो को सुनने के बाद दिनांक 31.08.2006 को कर दिया ओर माननीय न्याालय ने मुझ शकुन्तला व मेरी बहन अंगूरी देवी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री कर दिया ओर दिनांक 08.04.2004 को निष्पादित पंजीकृत हिबेनामा शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर दिया। साथ ही प्रतिवादीगण यानि हरभेजी व विमला को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कर दिया। ओर दावे के चरण संख्या 1 में उल्लेखित आराजी को वादीगण क अधिकारो के विपरीत अन्यत्र व्ययनित व भारित ना करने हेतु पाबंद कर दिया। उपरोक्त निर्णय की पालना में माननीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री की एक प्रति उप पंजीयक महोदय रामगढ, जिला अलवर को प्रथक से जारी कर आदेश दिया कि उनके कार्यालय में पंजीकृत हिबेनामा दिनांक 08.04.2004 जो हरभेजी बेवा फुलचंद द्वारा विमला देवी पुत्री फुलचन्द के पक्ष में निष्पादित किया गया है के रद्दीकरण के संबंध में उक्त हिबेनामा पर टिप्पणी अंकित कर न्यायालय को एक माह में पालना रिर्पोट पेश करे। ओर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2006 की पालना में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं0 2 अलवर द्वारा पारित निर्णय में इजराय के आदेश की पालना में उक्त रजिस्टर्ड हिबेनामा निरस्त कर दिया। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक सं0 2 अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध हरभेजी व विमला द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथ
अलवर (राज0)

में अपील पेश की गई जो बअनुवानी हरभेजी व अन्य बनाम शकुन्तला देवी व अन्य है। उक्त विचाराधीन अपील में माननीय राज०उच्च न्यायालय में विमला देवी द्वारा एक राजीनामा पेश किया गया जो राजीनामा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के बाहर लिखवाया गया है जो राजीनामा शकुन्तला देवी, महेशचंद, राजकुमार, द्वारा विमला देवी के पक्ष में लिखाया गया अंकित किया है ओर यह तथाकथित राजीनामा दिनाक 03.02.2015 को लिखाया गया है जो नोटेरी से तस्दीक कराया गया है इस राजीनामा के बारे में निवेदन है कि ऐसा कोई राजीनामा मुझ शकुन्तला देवी द्वारा नहीं लिखवाया गया ओर राजीनामा पर मेरा अगूंठा निशानी भी मेरे द्वारा लगाया हुआ नही है बल्कि यह अगूंठा निशानी विमला देवी के चतुर चालाक किस्म के पुत्र रिंकू पुत्र विमला देवी निवासी ग्राम बामनीखेडा द्वारा स्वयं या किसी अन्य महिला का लगवाया गया क्योंकि उक्त तथाकथित फर्जी राजीनामा पर पक्षकारो की पहचान रिंकू पुत्र राधेश्याम व विमला देवी द्वारा की गई है एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पक्षकारान ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई राजीनामा पेश नही किया। मैं कभी भी विमला देवी महेश चंद व राजकुमार के साथ जयपुर नही गयी ओर नाही दिनांक 03.02.2015 को मै जयपुर गयी ओर ना ही मैने कोई राजीनामा लिखवाया ना ही किसी पब्लिक नोटेरी के सामने पेश होकर राजीनामा तस्दीक कराया ओर ना ही मै माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति के समक्ष पेश हुयी ओर ना ही मैंने कोई राजीनामा पेश किया तथाकथित राजीनामा दिनांक 03.02.2015 एक फर्जी दस्तावेज है। प्रार्थीनी स्व0 हरभेजी व फूलचद की पुत्री है जिसका विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है कानूनन किसी राजस्व या दीवानी वाद का जिस न्यायालय में विचारण होता है उस डिक्री की इजराय भी उस ही न्यायालय में पेश होती है अगर विचारण न्यायालय की डिक्री के विरूद्ध कोई अपील होती है ओर अपील में यदि कोई भिन्न डिक्री पारित होती है यानि लोवर कोर्ट की डिक्री में कोई संशोधन होता है तो उस सूरत में भी अपीलेट कोर्ट की डिक्री की इजराय विचारण न्यायालय में ही पेश किया जाना कानूनन आवश्यक है। जबकि इस प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री की इजराय विचारण न्यायालय यानि अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 फास्टट्रेक अलवर में पेश ही नही की गई ओर ना ही विचारण न्यायालय ने डिक्री की पालना किये जाने के संबंध में कोई आदेश पारित किया। विमला देवी व उसके चतुर चालाक लडके रिंकू ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के तथाकथित आदेश की पालना करने हेतु इजराय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष पेश की ओर उपखण्ड अधिकारी ने इजराय की नियमानुसार पालना करने हेतु तहसीलदार रामगढ का आदेश जारी कर दिये। जबकि नियमानुसार जब किसी निर्णय की इजराय दो साल के बाद पेश की जाती है तब उस सूरत में डिक्री व निर्णय में अंकित समस्त पक्षकारों को नोटिस देकर सुना जाना आवश्यक होता है। जबकि आदेश देने से पूर्व उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने निर्णय में मेरा नाम अकित होने के बावजूद भी मुझे कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इसके अलावा तहसीलदार रामगढ़ ने भी जब विवादित इतकाल संख्या 583 स्वीकार करने से पूर्व हरभेजी के वारिसान को यानि मुझे व अगूरी देवी को तलब नहीं किया ओर हमे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जो कृत्य उपखण्ड अधिकारी रामगढ व तहसीलदार रामगढ का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के स्पष्टतया विरूद्व है जिस कानूनी बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 17.02.2022 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.05..2017 का है जबकि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ ने इंतकाल संख्या 583 दिनांक 17.02.2022 को स्वीकार किया है यानि राजस्थान उच्च न्यायालय को फैसले के 4 साल 9 माह बाद बगैर मुझ प्रार्थीनी को नोटिस दिये बगैर सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार किया है। जबकि दो साल बाद इजराय पेश होने पर समस्त पक्षकारो को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ व उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय बिना क्षेत्राधिकार के होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है क्योकि धारा 38 दीवानी प्रक्रिया सहिता में यह कानून प्रतिपादित किया गया है कि कोई आदेश या डिक्री का एक्जीवूशन उस कोर्ट में जहा पर कि प्रथम डिक्री पारित की गई है या उस कोर्ट में जिस कोर्ट में कि एक्जीक्यूशनल कोर्ट उस डिक्री को एक्जीक्यूशन हेतु भिजवाता है के द्वारा ही की जा सकती है। ऐसी सूरत में माननीय राज0 उच्च न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री की इजराय केवल अपर जिला न्यायाधीश फास्टट्रेक सं0 2 अलवर में ही की जानी चाहिये थी। क्योंकि माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने अधिनस्थ न्यायालय की डिक्री का निरस्त नही किया जो माननीय राज0 उच्च न्यायालयके आदेश को देखने से स्पष्ट है इसलिए विमला देवी के जिन वकीलो ने न्यायालय माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं0 2 फास्टट्रेक अलवर में पेरवी की थी इजराय पेश करने से मना कर दिया इसलिए विमला देवी ने 4 साल 9 माह तक आदेश को पेन्डिंग रखा ओर बाद में उपखण्ड अधिकारी रामगढ व तहसीलदार रामगढ से साज बाज होकर गेरकानूनी रूप से इंतकाल अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया जिस कानूनी बिन्दु पर भी इंतकाल संख्या 583 दिनांक 17.02.2022 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थीनी ने जो तथ्य अपनी बहस में अंकित किये है उनके संबंध में समस्त दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालयकी पत्रावली में मौजूद है व अपील की पत्रावली पर भी अपीलांटा द्वारा पेश किये गये है जिन अहम दस्तावेजो से मुझ प्रार्थीनी द्वारा पेश किये गये तथ्यो की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। अन्य वजूहात बाद गोर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय बहस के समय मौखिक अर्ज किये जावेगें। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाये जाने की कृपा करे। आपकी बहुत कृपा होगी ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद का पेश कर विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने का निवेदन किया है। अपीलांटा द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दि0 17.02.2022 के विरूद्ध दिनांक 06.05.2022 को पेश की गयी है। जो करीब 2.5 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलांटा अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील में अपीलांटा का मुख्य तर्क है कि रेस्पो0 विमला देवी पत्नी राधेश्याम जाति महाजन निवासी बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर ने एक इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर के समक्ष पेश किया और उक्त इजराय प्रार्थना पत्र में यह प्रार्थना की कि माननीय राज० उच्च न्यायालय जयपुर की डिक्री एवं राजीनामा की पालना की जावे। जिसके उपरांत उपखण्ड अधिकारी द्वारा मान0 न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये गये तथा तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपीलांटा को सुने बिना एवं किसी भी प्रकार का अवसर दिये बिना माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय उच्च न्यायालय राज0 के पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 के अनुसार अपीलांटा पक्षकार थी और मान0 न्यायालय में पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर शकुन्तला देवी, महेश, राजकुमार द्वारा राजीनामा दिनांक 13.02.2015 को नोटेरीशुदा बहक बिमला देवी पेश किया। जिस पर अपीलांटा के हस्ताक्षर नहीं है। जिसके पश्चात भी दिनांक 11.05.2017 को भी अपीलांटा अनुपस्थित रही। दिनांक 11.05.2017 को ही माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर आदेश पारित किये गये। जिसमें अपीलांटा की अनुपस्थिति दर्ज की गई तथा अनुपस्थिति की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति एवं राजीनामा की प्रति भिजवाने हेतु भी आदेशित किया गया है। जिसके उपरांत भी अपीलांटा द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.2017 के विरूद्ध कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिमला देवी के प्रा0पत्र के संबंध में तहसीलदार रामगढ़ को माननीय न्यायालय के आदेश दि0 11.05.2017 एवं राजीनामा की प्रमाणित प्रति संलग्न कर, यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी ना होने की स्थिति मुताबिक निर्णय एवं राजीनामा के आधार पर पालना किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है। जिसके उपरांत उक्त आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना की जाकर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 17.02.2022 को इंतकाल संख्या 583 वाके ग्राम बामनीखेड़ा दर्ज व तस्दीक किया गया। चूंकि इंतकाल माननीय आदेश के अनुसार दर्ज व तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.2022 इंतकाल संख्या 583 वाके ग्राम बामनीखेड़ा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांटा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 17.02.2022 बाबत इन्तकाल संख्या 583 वाके ग्राम बामनीखेड़ा, तहसील रामगढ़ यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर राज0